04/19 लक्ष्मा बनाम रामस्वरूप वगै० धारा - [illegible]

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	14/12/20	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 2/2/2021 को पेश हो।
पटवारी [illegible]	2/2/21	पत्रावली आज पेश हुई। प्रतिवादी संख्या 1+07 की ओर से वकील श्री कुलदीप किशोर शर्मा के द्वारा वकालतनामा पेश किया गया शामिल मिसल किया गया! शेष प्रतिवादीगण के नोटिस कार्यवाही के द्वारा के पेश किये गये वाद जांच जावेगा पत्रावली वास्ते जवाब व शेष प्रतिवादीगण की तामील हेतु दिनांक 3/3/21 को पेश हो Xam. उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट बस्सी जिला-जयपुर
	3/3/21	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय द्वारा हड़ताल/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 27/5/21 को पेश हो।
	27/5/21	पत्रावली [illegible] R0. LAHEB कोविड-19 के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली 2/6/21 को पेश हो।
	2/6/21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/9/21 को पेश हो।
रामसहाय	2/10/21 मंजु देवी मंजू देवी सरपंच ग्राम पंचायत कानोता पंचायत समिति बस्सी (जयपुर)	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प कानोता में पेश हुई। वादी रामसहाय व रामस्वरूप [illegible] प्रतिवादी स्वयं कैम्प में उपस्थित होकर आदेशिका पर अपने अपने हस्ताक्षर किये। वादी व प्रतिवादी की पहचान सरपंच ग्राम

उप खण्ड अधिकारी

	आदेश विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	पंचायत कालोता से ली है। वादी व प्रतिवादीगण को वाद पत्र पर सुना गया। पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन एवं वादी व प्रतिवादीगण को वाद पत्र पर सुनने के पश्चात वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वाद ग्रस्त आराजी खाता ख.नं. 51 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा ख.नं. 373 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वे (संशोधित खसरा 512 व 366) स्थित ग्राम कालोता तहसील बस्सी के सम्बन्ध में भू.अ.नि. व चार पटवारी की टीम गठित कर सीमा ज्ञान करने हेतु तहसीलदार बस्सी को आदेश किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादीगण को उक्त वाद ग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वाद ग्रस्त भूमि का सीमा ज्ञान होने तक एक दूसरे की भूमि में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करे। डिक्री मुर्त्तब जारी हो। निर्णय व डिक्री की पालना तहसीलदार बस्सी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	रामस्वरूप कैलाश मंजू देवी मंजू देवी सरपंच ग्राम पंचायत कालोता ... समिति
	आज दिनांक 2.10.21 को यह निर्णय प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 ग्राम कालोता में खुले आम में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला-जयपुर)	379 12/10/21 तहसीलदार बस्सी को तहरीर जारी